नाम न्यायालय : — सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु0 जयपु

कीर्ति देवी फर्द अहकाम कीर्ति गुरारी

केस संख्या : 6-ज्ञ T-D 201/13 बनाम

केस संख्या		
	7-6-18	आज यह पत्रावली स्टाम्प केस को ग्राम नांगल तिरोत पर पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पुश्तैनी, इन्तकाल का पेश किया गया जिसमें वादिना व्यास मुकुन्दा व विरासत के सम्बन्ध में डिक्री यही है जिसमें अपील 1 ता 4 के विरुद्ध डिक्री नहीं यही है तथा वादिना व्यास अभिलेख रिकार्ड खातेदार नहीं है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्ड खातेदार व्यक्ति को उनके हक व अधिकारों के विपरीत जाकर उनके भूमि में उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में पारित नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण दृष्टिगत मौसला अपीलीय के पक्ष में होने से पूर्व में जारी अन्तरिम आज्ञा निषेधाज्ञा दिनांक 12-9-13 को अपीलीय 1 ता 5 के विरुद्ध खारिज किया जाता है शेष अपीलीय के सम्बन्ध में पूर्व में जारी T-D आदेश ता फैसला यथा